an>

Title: Issue regarding crop insurance scheme.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किसानों से प्रति वर्ष फसल का बीमा लिया जाता है। यह बीमा दैवीय आपदाओं जैसे ओला, पाला आदि से उनके नुकसान की भरपाई करता है। अगर 50 प्रतिशत से कम किसी का नुकसान दिखा दिया जाता है तो उसे एक पैसा नहीं मिलता। पाला और ओला एक लाइन से पड़ता है। इसमें एक नियम और है कि तहसील वाइज़ और ब्लॉक वाइज़ गिनती होती है। अगर तहसील में है तो मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। ब्लॉक में 50 प्रतिशत है तो मिलेगा। इस नियम को हटाया जाए और सामान्य बीमा की तरह जिसका जितना नुकसान है, उसकी उतनी भरपाई की जाए। माननीय राजनाथ सिंह जी जब कृषि मंत्री थे तब उन्होंने एक नियम बनाया था कि तीन साल का एवरेज दिया जाए।